18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

रि० 1269-PBR-17

रिव्यू आवेदन क्रमांक : ....../पी.बी.आर./2017

मुमताज़ अंसारी
आत्मज स्व. श्री नसीरूद्दीन अंसारी
कृषक – ग्राम कारी तलाई,
तहसील गौहरगंज, ज़िला रायसेन
हाल निवासी – म. न. 264, मेन रोड,
खुशबू शादी हॉल के सामने,
देवकी नगर, बैरसिया रोड, भोपाल .... **आवेदक**

विरूद्ध

01. **मुज़फ़्फ़र अली अंसारी**
आत्मज स्व. श्री नसीरउद्दीन अंसारी
निवासी – बी–88, बारहदरी,
बाग़ दिलकुशा, रायसेन रोड,
हुज़ूर, भोपाल

02. **मंसूर अली अंसारी**
आत्मज स्व. श्री नसीरउद्दीन अंसारी
निवासी – 9–6, जेल बाग़ रोड,
बादशाह भाई का मकान, मस्जिद के सामने,
जिंसी, हुज़ूर, भोपाल

03. **श्रीमती तहज़ीबुननिसा**
पत्नी स्व. श्री अमीनउद्दीन अंसारी,
निवासी – तुलयिा का पुल,
मुफ़्तीपुरा, ग़ाज़ीपुर सिटी,
ज़िला ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.)

04. **श्रीमती नज़बुननिसा**
पत्नी श्री जलालुद्दीन अंसारी
निवासी – ग्राम एवं पोस्ट परसा,
बाया मोहम्मदाबाद,
ज़िला ग़ाज़ीपुर (उ.प्र.)

क्रमांक 01 लगायत 04 कृषक –
ग्राम कारी तलाई,
तहसील गौहरगंज, ज़िला रायसेन

05. श्रीमती फ़ातिमा बेगम
पत्नी मुज़फ़्फ़र अली अंसारी
निवासी – बी–88, बारहदरी,
बाग़ दिलकुशा, रायसेन रोड,
तहसील हुज़ूर, ज़िला भोपाल ..... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–रा0सं0

महोदय जी,

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी क्रमांक 2735/पी.बी.आर./14 (मुज़फ़्फ़र अली अंसारी विरूद्ध मुमताज़ अंसारी एवं 04 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 09/03/2017 से दुःखी एवं परिवेदित होकर यह पुनर्विलोकन आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष ठोस तथ्य एवं विधिक आधारों पर समय सीमा में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1269–पीबीआर/17 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–5–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2735–पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 9–3–17 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उनकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	